

RTI-69

सेवा में,

श्रीमान केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी महोदय
छावनी परिषद्, आगरा।

CEO	<i>AW</i>
OS	<i>C</i>
DI	
DIARY No	2720
	<i>CS</i>

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन।

महोदय,

निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न सूचना दिलवाने की कृपा करें। आवेदन शुल्क के लिये रु0 10/- का पोस्टल आर्डर नं0 36F856353 संलग्न हैं।

छावनी परिषद् आगरा छावनी के रिकार्ड अनुसार डॉ0 पंकज महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश महेन्द्र, निवासी बंगला नं0 41, ओ0पी0 महेन्द्र मार्ग, आगरा छावनी के नाम कोई अवैध निर्माण करने का अथवा अतिक्रमण करने का नोटिस परिषद कार्यालय, आगरा छावनी से भेजा गया है या नहीं भेजा गया है। कृपया सत्यापित प्रतिलिपी द्वारा सूचित करने का कष्ट करें।

दिनांक : 10.03.2017

प्रार्थी

Pankaj Mahendra

(डा0 पंकज महेन्द्र)

पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश महेन्द्र
निवासी-बंगला नं0 41,
ओ0पी0 महेन्द्र मार्ग,
आगरा छावनी, आगरा

R. Singh

*Pl refer, any notice of
Unauthorized construction
in respect of B.H. 41
and or No 9, Gwalior post
has been issued or not*

★
20-3-17

AEC

*सेवा में
अवैध निर्माण अथवा अतिक्रमण
से सम्बन्धित बंगला नं0 41 व ओ0पी0 नं0 9
जगलिया रोड में डॉ0 पंकज महेन्द्र जी का रिकार्ड के अन्तर्गत
कोई नोटिस जारी हो चुका है 20/3/17*

ईमेल : ceoagra@yahoo.com
वेबसाइट : www.cbagra.org.in
दूरभाष : 0562-2227275, 2227379
फैक्स : 0562-2227380



सं०-68/आर.टी.आई.- 69/सी०बी०ए०/2017/714 ✓
कार्यालय छावनी परिषद,
114, फतेहपुर सीकरी रोड,
आगरा - 282001
दिनांक २१ अप्रैल, 2017

सेवा में

डा० पंकज महेन्द्र पुत्र स्व० श्री ओमप्रकाश महेन्द्र
बंगला संख्या : 41, ओ० पी० महेन्द्र मार्ग
आगरा छावनी।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत डायरी संख्या 2720 दिनांक 10.03.2017 व आवेदन संख्या 69 के सम्बन्ध में।

आपके द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 10.03.2017 के सन्दर्भ में अवगत कराया जाता है कि डा० पंकज महेन्द्र पुत्र स्व० श्री ओमप्रकाश महेन्द्र, निवासी बंगला नं०-41, ओ०पी० महेन्द्र मार्ग, आगरा छावनी को कार्यालय छावनी परिषद आगरा के द्वारा अवैध निर्माण व अतिक्रमण से सम्बन्धित कोई नोटिस/सम्मन जारी नहीं किया गया है।

By fast

केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी
छावनी परिषद, आगरा
(डा० अशोक कुमार शर्मा)

9/2